//पुलिस मुख्यालय, मध्यप्रदेश भोपाल//

:: परिपत्र ::

माननीय मुख्यमंत्री म0प्र0, की घोषणा क्र.–2278 दिनांक–11.04.2012 "शहरी क्षेत्रो के समस्त थानो के क्षेत्र मे निवासरत अकेले रहने वाले वरिष्ठ नागरिको की सुरक्षा हेतु विशेष व्यवस्था की जावेगी"।

इस संबंध मे पुलिस मुख्यालय भोपाल द्वारा पूर्व मे जारी परिपत्र क्रमांक–पुमु/सामु. पुलि./वरि.ना.कल्य./एफ–2/44/2014, दिनांक–24.06.2014 द्वारा वरिष्ठ नागरिको की सुरक्षा के संबंध मे निर्देशित किया गया है। पुलिस मुख्यालय, भोपाल मे अति. पुलिस महानिदेशक, सामुदायिक पुलिसिंग के अधीन **"वरिष्ठ नागरिक सुरक्षा सेल"** का गठन किया गया है, जिसका उद्देश्य वरिष्ठ नागरिको के जीवन व सम्पत्ति की सुरक्षा करना एवं उनको पुलिस की तरफ से हर सम्भव सहायता उपलब्ध कराना है। अतः पूर्व मे जारी आदेश का पालन करने के साथ निम्न दिशा निर्देशो का पालन भी सुनिश्चित किया जावे :–

1. समस्त पुलिस अधीक्षकगण पुलिस कंट्रोल रूम, पुलिस अधीक्षक, अति. पुलिस अधीक्षक, सी.एस.पी./एस.डी.ओ.पी.,थाना/चौकी प्रभारी एवं बीट प्रभारी आदि के मोबाईल/फेक्स नम्बर व ई–मेल की टेलीफोन डायरेक्ट्री तैयार कर वरिष्ठ नागरिको को वितरित की जाये।
2. जिला एवं थाना स्तर पर वरिष्ठ नागरिको की सुरक्षा हेतु पृथक–पृथक समिति का गठन किया जावे जिसमे पुलिस अधिकारी, समाजिक न्याय विभाग का प्रतिनिधि(वॉलंट्रीयर) एवं ग्राम/नगर रक्षा समिति के सदस्य आदि समिति सदस्य के रूप मे शामिल होंगें।
3. वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण अधिनियम–2007 एवं संशेधित नियम–2010 मे उल्लेखित नियमो का पालन किया जाये।
4. पुलिस अधीक्षक उनके अधिनस्त थाना क्षेत्रो मे भरण–पोषण अधिनियम–2007 की धारा–22 मे वर्णित उप धाराओ के पालन हेतु निम्न दिशानिर्देश जारी करे (प्रतिलिपि संलग्न) :–
   1) प्रत्येक थाना क्षेत्रो मे निवासरत् अकेले रहने वाले वरिष्ठ नागरिको की सूची अनिवार्य रूप से तैयार कर थाने मे रखी जावे जिसे समय–समय पर अपडेट किया जाये। (रजिस्ट्रेशन फार्म का प्रारूप संलग्न)
   2) थाना प्रतिनिधि, वॉलंटीयर एवं ग्राम/नगर रक्षा समिति सदस्य सामूहिक रूप से भ्रमण कर क्षेत्र मे अकेले निवासरत् वरिष्ठ नागरिको से सतत् सम्पर्क बनाये रखेंगें।
   3) स्थानीय, पुलिस द्वारा वरिष्ठ नागरिको से प्राप्त शिकायतों का अलग से रजिस्टर रखा जावें व उनकी समस्याओ का प्राथमिकता के आधार पर निराकरण करें।
   4) एक या एक से अधिक कमेटी का गठन प्रत्येक थाने मे किया जाये ताकि अकेले निवासरत् वरिष्ठ नागरिको का सतत् सम्पर्क थाना एवं जिला प्रशासन से स्थापित रहे।

5) वरिष्ठ नागरिको के जीवन एवं उनकी सम्पत्ति की सुरक्षा हेतु लिये गये निर्णय व इस दिशा मे उठाये गये कदमो का प्रचार–प्रसार किया जावे।
6) प्रत्येक थाने मे वरिष्ठ नागरिको पर घटित अपराधों/शिकायतों का पूर्ण रिकार्ड पृथक रजिस्टर मे रखा जावे जिसमे अपराध से संबंधित प्रकरण की सम्पूर्ण जानकारी का समावेश किया जावें।
7) यह रजिस्टर लोक निरीक्षण एवं वरिष्ठ पुलिस अधिकारीयो द्वारा थाना निरीक्षण के समय उपलब्ध रखा जावे।
8) समस्त पुलिस अधीक्षक प्रत्येक माह की **02 तारीख** तक थाने मे वरिष्ठ नागरिको से संबंधित अपराधो की जानकारी थाना प्रभारी से प्राप्त करेंगें।
9) वरिष्ठ नागरिक के हित मे वे **क्या करें/क्या न करे** की सूची का प्रचार–प्रसार स्थानीय रूप से किया जावे।
10) वरिष्ठ नागरिको की ओर से घरेलू नौकरो के संबंध में प्राप्त चरित्र सत्यापन के अनुरोध पर बिना विलंब किये सत्यापन की कार्यवाही की जाये व इसका उल्लेख पाक्षिक रिपोर्ट व एम.ए.सी. मे किया जावे।
11) सामुदायिक पुलिसिंग के अन्तर्गत रेसीडेंट वेलफेयर सोसायटी, यूथ वॉलंटीयर एवं स्वयंसेवी संस्थाओ की मदद् से वरिष्ठ नागरिको की सुरक्षा सुनिशचित की जावें।
12) पुलिस अधीक्षक अपनी रिपोर्ट प्रत्येक माह की **10 तारीख** तक पुलिस महानिदेशक, मध्यप्रदेश की ओर भेजकर प्रतिलिपि अति. पुलिस महानिदेशक, सामुदायिक पुलिसिंग, पुलिस मुख्यालय, भोपाल का प्रेषित करेगें जिसमे अपराधो की प्रगति/जॉच एवं वरिष्ठ नागरिको के जीवन एवं उनकी सम्पत्ति की सुरक्षा हेतु उठाये गये सुरक्षात्मक कदमो की जानकारी शामिल की जाये जिससे की शासन एवं स्टेट वेलफेयर बोर्ड को आवश्यकता अनुसार अवगत कराया जा सके।

पुलिस महानिदेशक
मध्यप्रदेश

क्रमांक–पुमु/सामु. पुलि./वरि.नाग.कल्या./एफ–2/ 80 /14, दिनांक. ~~ /09/14~~ 03/11/2014

प्रतिलिपिः– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. समस्त जोनल/रेंज पुलिस महानिरीक्षक,म0प्र0।
2. समस्त रेंज उप पुलिस महानिरीक्षक,म0प्र0।
3. समस्त जिला पुलिस अधीक्षक,म0प्र0।

पुलिस महानिदेशक
मध्यप्रदेश

Background Note

माननीय मुख्यमंत्री, म0प्र0 की घोषणा क्र.—2278, दिनांक—11.04.2012 के अनुसार **"शहरी क्षेत्रो मे अकेले निवासरत् वरिष्ठ नागरिको के बचाव एवं सुरक्षा के विशेष प्रबंध किये जावेंगें"।** घोषणा के पालन में म0प्र0 शासन द्वारा निम्नानुसार आदेश पारित किये गयेः—

1. म0प्र0 शासन द्वारा राजपत्र आदेश कमांक—614(6) दिनांक 2—7—2009 में सीनियर सिटिजन के जीवन एवं संपत्ती के संरक्षण की कार्ययोजना एवं वरिष्ठ नागरिकों की राज्य परिषद व जिला समिति के गठन हेतु दिशा निर्देश।
2. दिनांक—05.02.2013 को सीनीयर सिटिजन वेलफेयर कमीशन का गठन किया गया है एवं आदेश टीप कमांक—म.प्र.रा.व.ना.क.आयोग/1092 दिनांक—21.05.2014 द्वारा समन्वय अधिकारियो की नियुक्ति की गई है।
3. गृह पुलिस विभाग के आदेश कमांक एफ—21—04/2014/दो—ऍ(3) दिनांक—27.05.2014 द्वारा **अति. पुलिस महानिदेशक (सामुदायिक पुलिसिंग), पुलिस मुख्यालय, भोपाल को समन्वय अधिकारी** नियुक्त किया गया है।

पुलिस विभाग द्वारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा की गई घोषणा के पालन मे वर्ष 2012 मे शासन को एक रिपोर्ट प्रेषित की गई जिसमे अन्य राज्यो मे वरिष्ठ नागरिको के संबंध मे चलाये जा रहे विभिन्न कार्यकमो तथा वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण अधिनियम—2007 एवं संशेधित नियम—2010 का खुलासा करते हुये रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। तत्पश्चात् समस्त जिला पुलिस अधीक्षको को पुलिस मुख्यालय द्वारा परिपत्र जारी कर अधिनस्त क्षेत्रो मे अकेले निवासरत् सीनीयर सिटिजन का डाटा बैंक तैयार करने के निर्देश भी जारी किये गये जिसमे एन.जी.ओ., पेंशनर रजिस्टर, जनगणना डाटा, कोषालय एवं वृद्धाश्रमो आदि अन्य उपयुक्त साधनो का प्रयोग कर डाटा एकत्रित करने का लेख किया गया है। इसके अतिरिक्त निम्न आदेश जारी किये गयेः—

1. पुलिस अधीक्षकों को समस्त प्रशासनिक/पुलिस अधिकारियों, पुलिस कंट्रोल रूम एवं हेल्प लाईन आदि के मोबाईल/फेक्स नम्बर व ई—मेल की टेलीफोन डायरेक्ट्री तैयार कर वरिष्ठ नागरिको को वितरित करें।
2. समस्त पुलिस अधीक्षक जिला एवं प्रत्येक थाना स्तर पर वरिष्ठ नागरिको की सुरक्षा हेतु पृथक—पृथक समिति का गठन किया जावे जिसमे पुलिस अधिकारी, समाजिक न्याय विभाग का प्रतिनिधि (वॉलंटीयर), एन.जी.ओ. प्रतिनिधी एवं ग्राम/नगर रक्षा समिति के सदस्य आदि समिति सदस्यों को शामिल किया जावें।
3. जिले के शहरी क्षेत्रों के साथ—साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी अकेले निवासरत् वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जावे।
4. प्रदेश में वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा योजना से संबंधित दस्तावेज जैसे—बैकग्राउण्ड नोट, क्या करें—क्या न करें, परिपत्र, एवं रजिस्ट्रेशन फॉर्म आदि पुलिस बेवसाइट पर अपलोड किये गये हैं। अतः आवश्यक्तानुसार इनका अवलोकन एम0पी0 पुलिस बेवसाइट पर किया जा सकता है।

3/11/15

5. वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण अधिनियम–2007 एवं संशोधित नियम–2010 मे उल्लेखित नियमो का पालन करें एवं उनके अधिनस्त थाना क्षेत्रो मे भरण–पोषण अधिनियम–2007 की धारा–22 मे वर्णित उप धाराओ का अक्षरशः पालन करने हेतु निम्न दिशानिर्देश जारी करे (प्रतिलिपि संलग्न) :–

1) प्रत्येक थाना क्षेत्रो मे निवासरत् अकेले रहने वाले वरिष्ठ नागरिको की सूची अनिवार्य रूप से तैयार कर थाने मे रखी जावे जिसे समय–समय पर अपडेट किया करें। (रजिस्ट्रेशन फार्म का प्रारूप संलग्न)
2) थाना प्रतिनिधि, वॉलंटीयर एवं ग्राम/नगर रक्षा समिति सदस्य सामूहिक रूप से भ्रमण कर क्षेत्र मे अकेले निवासरत् वरिष्ठ नागरिको से सतत् सम्पर्क बनाये रखेंगें।
3) स्थानीय पुलिस द्वारा वरिष्ठ नागरिको से प्राप्त शिकायतों का अलग से रजिस्टर रखा जावें व उनकी समस्याओ का प्राथमिकता के आधार पर निराकरण करें।
4) एक या एक से अधिक कमेटी का गठन प्रत्येक थाने मे किया जाये ताकि अकेले निवासरत् वरिष्ठ नागरिको का सतत् सम्पर्क थाना एवं जिला प्रशासन से स्थापित रहे।
5) वरिष्ठ नागरिको के जीवन एवं उनकी सम्पत्ति की सुरक्षा हेतु लिये गये निर्णय व इस दिशा मे उठाये गये कदमो का प्रचार–प्रसार किया जावे।
6) प्रत्येक थाने मे वरिष्ठ नागरिको पर घटित अपराधों/शिकायतों का पूर्ण रिकार्ड पृथक रजिस्टर मे रखा जावे जिसमे अपराध से संबंधित प्रकरण की सम्पूर्ण जानकारी का समावेश किया जावें।
7) यह रजिस्टर लोक निरीक्षण एवं वरिष्ठ पुलिस अधिकारीयो द्वारा थाना निरीक्षण के समय उपलब्ध रखा जावे।
8) समस्त पुलिस अधीक्षक प्रत्येक माह की **02 तारीख** तक थाने मे वरिष्ठ नागरिको से संबंधित अपराधो की जानकारी थाना प्रभारी से प्राप्त करेंगें।
9) वरिष्ठ नागरिक के हित मे वे **क्या करें/क्या न करे** की सूची का प्रचार–प्रसार स्थानीय रूप से किया जावे।(प्रतिलिपि संलग्न)
10) वरिष्ठ नागरिको की ओर से घरेलू नौकरो के संबंध मे प्राप्त चरित्र सत्यापन के अनुरोध पर बिना विलंब किये सत्यापन की कार्यवाही की जाये व इसका उल्लेख पाक्षिक रिपोर्ट व एम.ए.सी. मे किया जावे।
11) सामुदायिक पुलिसिंग के अन्तर्गत रेसीडेंट वेलफेयर सोसायटी, यूथ वॉलंटीयर एवं स्वयंसेवी संस्थाओ की मदद् से वरिष्ठ नागरिको की सुरक्षा सुनिश्चित की जावें।
12) पुलिस अधीक्षक अपनी रिपोर्ट प्रत्येक माह की **10 तारीख** तक पुलिस महानिदेशक, मध्यप्रदेश की ओर भेजकर प्रतिलिपि अति. पुलिस महानिदेशक, सामुदायिक पुलिसिंग, पुलिस मुख्यालय, भोपाल का प्रेषित करें जिसमे अपराधो की प्रगति/जॉच एवं वरिष्ठ नागरिको के जीवन एवं उनकी सम्पत्ति की सुरक्षा हेतु उठाये गये सुरक्षात्मक कदमो की जानकारी शामिल की जाये जिससे की शासन एवं स्टेट वेलफेयर बोर्ड को आवश्यकता अनुसार अवगत कराया जा सके।

––00––

3/11/15

LIST OF DO'S AND DON'TS FOR SENIOR CITIZENS

1- Employ servants after verifying his/her antecedents with the help of nearest Police Station.

(घरेलू नौकर/किरायेदारों का चरित्र सत्यापन आवश्यक रूप से नजदीकी पुलिस थाने से करायें)

2- Always carry an Identity card with you.

(पहचान पत्र सदैव अपने साथ रखें।)

3- Never discuss financial matters in front of servants/Strangers.

(अपने आर्थिक मामलों अथवा पैसे के लेन–देन से संबंधित चर्चा राहगीर/नौकरों के सामने करने से बचें)

4- Deposit your valuables in safe deposit vault of banks.

(मूल्यवान जेवँरात आदि बैंक लॉकर में सुरक्षित रखें)

5- Treat your servants in a humane manner.

(घरेलू नौकरों के साथ मानवीय व्यवहार करें)

6- If you are staying alone, please inform your neighbour and housing society.

(अकेले निवास करने वाले वृद्धजन इस बात की सूचना पडोस् एवं रेजिडेंट हाउसिंग सोसाइटी को अवश्य दें)

7- Use modern security gadgets like door alarm, electronic eye, bell, CCTV camera etc. as per availability of budget.

(सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिये यथासंभव आधुनिक इलैक्ट्रॉनिक सुरक्षा उपकरण जैसे–डोर अलार्म/इलैक्ट्रॉनिक आई/सी0सी0टी0व्ही0 कैमरा व रिमोट बैल आदि का इस्तेमाल करें)

8- Install peephole in the entrance door of your house. Install double door system.

(घर के मुख्य द्वार पर पीपहोल एवं डबल डोर की व्यवस्था करें)

9- Verify the identity of repairman, salesman etc. and allow them only after verifying their identity and informing security personnel's employed by the society.

(सुरक्षा गार्ड को सूचित करने के उपरांत ही मैकेनिक/प्लम्बर/सफाईकर्मी एवं सेल्समैन आदि का पहचान पत्र देखने के बाद ही घर में प्रवेश की अनुमति दें)

3/11/17

6

10- Do not leave any workman, salesman alone at any time in your house.
(मैकेनिक/प्लम्बर/सफाईकर्मी एवं सेल्समैन आदि किसी अन्य बाहरी व्यक्ति को सूने घर पर अकेले कतई न छोडें)

11- Keep emergency medicine and Telephone number of your family doctors always with you.
(आवश्यक दवायें व महत्वपूर्ण टेलीफोन नंबर सदैव अपने साथ रखें)

12- Inform your society about unknown visitors so that their identity can be checked. (संदिग्ध/अपरिचित व्यक्ति की सूचना सोसाइटी सुरक्षा कार्यालय को अवश्य दें)

13- Do not carry any valuable articles while walking on roads, park, market and garden. (मॉर्निंग वॉक, पार्क भ्रमण अथवा बाजार जाते समय अमूल्य चीजें अपने साथ न रखें)

14- Regarding sale, purchase of own property, be cautious and keep in touch with the relatives and well wishers.
(संपत्ती बेचने/खरीदते समय अपने निकट संबंधी एवं शुभ चिंतकों को इसकी सूचना अवश्य दें)

15- Keep telephone directory of Police / Administrative officers with you.
(प्रदाय की गई पुलिस/प्रशासनिक अधिकारियों के दूरभाष डायरेक्ट्री सदैव साथ रखें)

16- During tour and visits, please inform your neighbours to keep watch over your house. (यात्राओं एवं बाहर भ्रमण पर जाते समय अपने पडोसी एवं सुरक्षा गार्ड को सूने घर पर सतत् निगरानी रखने का अनुरोध करें)

3/11/17

REGISTRATION FORM

1. Personal Details
(व्यक्तिगत् जानकारी)

Name:
(नाम):

D.O.B:
(जन्म दिनॉक):

Age: Years
(उम्र):

Address:
(पता):

Gender:
(लिंग):

Tel No
(दूरभाष कमॉक):

Religion
(धर्म):

Email
(ई–मेल):

Mobile No
(मोबाइल नं):

Field of Specialization
(विशेषता):

Retired From
(सेवानिवृत्त):

2. Spouse & Sibling's Detail
(पारिवारिक जानकारी)

Spouse Name
(पति / पत्नि का नाम):

D.O.B
(जन्म दिनॉक):

Other Details
(अन्य जानकारी)

No. of Children
(बच्चों की संख्या):

Family
(परिवार):

Health
(स्वास्थ्य):

Brother/Sister
(भाई / बहिन):

Address/ Tel
(पता / फोन नं0):

3. Residing with
(सहित निवास):

Alone (अकेले)	Alone with Spouse (पति / पत्नि)	Children (बच्चे)	Friends/Relatives (मित्र / रिश्तेदार)

4. Introducer of Servant/Driver
(नौकर / वाहन चालक का परिचयकर्ता)

Name
(नाम):

Permanent Address/Tel.
(स्थाई पता / फोन नं0):

3/11/15

5. Servant
(नौकर)

Name
(नाम):

Address/ Tel
(पता / फोन नं0):

Permanent Address
(स्थाई पता):

6. Driver
(चालक)

Name
(नाम):

Address/ Tel
(पता / फोन नं0):

Permanent Address
(स्थाई पता):

7. Watchman
(चौकीदार)

Name
(नाम):

Address/ Tel
(पता / फोन नं0):

Permanent Address
(स्थाई पता):

8. Tenant
(किरायेदार)

Name
(नाम):

Address/ Tel
(पता / फोन नं0):

Permanent Address
(स्थाई पता):

Serving department
(सेवारत विभाग):

9. Name of Resident Society Living /Mohalla
(निवासरत् सोसाइटी / मोहल्ले का नाम):

Neighbour Record
(पडोसी की जानकारी):

Tel No
(फोन नं0):

10. Friends/Relative residing in the city
(शहर में निवासरत् मित्र / रिश्तेदार):

Address
(पता):

Tel. no
(फोन नं0):

Name of family Doctor (if any)
(पारिवारिक चिकित्सक):

Address/Tel. no
(पता/फोन नं0):

3/11/14